# राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

## भारत सरकार

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

**विषयः–** **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 15/12/2022 को संपन्न 441वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022 को डॉ. बी.पी. नौहारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदिप्पुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

**एजेन्डा आयटम क्रमांक–1:** **440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक–2:** **गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स बघर्रा सेण्ड माईन (ए1) (प्रो.–श्री सुभेन्द्र सिंह), ग्राम–बघर्रा, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2175)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 404927/2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बघर्रा, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 290, कुल क्षेत्रफल–1.263 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मनियारी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–9,786 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022 :**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुमेन्द्र सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बघनीभांवर का दिनांक 31/07/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खं.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्र. 1562/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2022 बिलासपुर, दिनांक 07/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 595/खनि–03/2022 मुंगेली, दिनांक 18/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 595/खनि–03/2022 मुंगेली, दिनांक 18/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, नरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री सुमेन्द्र सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 01/खनि–03/2022 मुंगेली, दिनांक 01/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बघनीभांवर 300 मीटर, स्कूल ग्राम–बघर्रा 1.80 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–लोरमी 7.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25.30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.6 कि.मी. दूर

है। नाला 10 मीटर, नहर 1.15 कि.मी., पुल 4 कि.मी., बांध 2.60 कि.मी., एनीकट 2.6 कि.मी. एवं तालाब 430 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 24 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 525 मीटर, न्यूनतम 509 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 32 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर दर्शाई गई है। खदान की पूर्वी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 12 मीटर, न्यूनतम शून्य मीटर एवं पश्चिमी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 15 मीटर, न्यूनतम शून्य मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए (जो भी अधिक हो)।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.38 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 9,766 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.378 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई 3 मीटर से अधिक है। समिति का मत है कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत जाना आवश्यक है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल(स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 18/04/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल(स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 24 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से लगी हुई है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर को छोड़ते हुये 2,350 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1.028 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 12.65 | 2% | 0.253 | Following activities at nearby, Village-Ghanaghath | |
| | | | Plantation with fencing in periphery of village pond area | 0.292 |
| | | | Total | 0.292 |

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 20 नग पौधों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में 5 नग पौधे तालाब के किनारे पर है। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन एवं कटहल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 15 नग पौधों के लिए राशि 1,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,250 रूपये, खाद के लिए राशि 750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 16,500 रूपये तथा आगामी वर्ष में कुल राशि 12,750 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 64, क्षेत्रफल 1.566 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**2. मेसर्स सर्वोत्तम स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–II, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2173)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी1/404769/2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–II, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 100(पार्ट) एवं 101(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–4.841 एकड़ में सि–सील्ड स्टील प्रोडक्ट्स, स्ट्रीप्स एण्ड पाईप थ्रु इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (हॉट चार्जी) क्षमता–59,500 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 4.5 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलीप छुगानी, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा गेल्वेनाइजिंग पाईप एण्ड ब्लैक पाईप, इलेक्ट्रीक पोल एण्ड ट्रान्समिशन टावर क्षमता–72,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 13/05/2022 को जारी की गई। जो कि दिनांक 31/07/2023 तक वैध है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–संकरा 2.50 कि.मी. एवं शहर रायपुर 13.70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बैकुण्ठ 3.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, नाना, रायपुर 24 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.65 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – यह शासकीय भूमि है। सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा मेसर्स सर्वोत्तम स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम से स्थित प्लॉट नं. 100(पार्ट) एवं 101(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–4.841 एकड़, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–II, तहसील व जिला–रायपुर को दिनांक 30/10/2021 को लीज डीड संपादित की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 23/12/2108 तक है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

| S. No. | Particular | Existing Area ($m^2$) | Total Area After Expansion ($m^2$) | Total Area (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Induction Furnace Area | - | 2,155.96 | 10.99 |
| 2. | Rolling Mill Area | - | 1,568.0 | 8.00 |
| 3. | Pipe Mill Area | 2,340.0 | 2,340.0 | 11.93 |
| 4. | Galvanizing Area | 2,080.0 | 2,080.0 | 10.61 |
| 5. | Finished Good Area | 882 | 882.0 | 4.5 |
| 6. | Raw Material Yard | 980.25 | 980.25 | 5.00 |
| 7. | Parking Area | 500.0 | 500.0 | 2.59 |
| 8. | Road Area | 582 | 582.0 | 2.96 |
| 9. | Green Belt Area | 5,880 | 7,841.96 | 40.01 |
| 10. | Open Area | 6355.75 | 669.83 | 3.41 |
| **Total** | | **19,600** | **19,600** | **100** |

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

| S. No. | Particular | Existing Activities | Activities After Expansion |
|---|---|---|---|
| 1. | Production | Galvanizing Pipe & Black Pipe, Electric Pole and Transmission Tower- 72,000 | No Change |
| 2. | | - | Re-rolled Products through Induction Furnace With CCM (Hot Charge)-59,500 TPA |
| 3. | Working Hours | 12 | 18 |

6. रॉ–मटेरियल :–

| S. No. | Raw Material | Quantity (TPA) | Source | Mode of Transport |
|---|---|---|---|---|
| **For Induction Furnace** | | | | - |
| 1. | Sponge Iron | 48,500 | Open Market | By Road |
| 2. | Scrap | 15,000 | | |
| 3. | Alloys | 660 | | |
| **For Re-rolled Product** | | | | |
| 1. | Billets | 59,500 | - | - |
| **For MS Pipe** | | | | - |
| 2. | Strips | 59,500 | In House | - |
| 3. | | 12,500 | Open Market | By Road |

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में गेल्वेनाईजिंग इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वयूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम एवं स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इण्डक्शन फर्नेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 9.568 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

| S. No. | Waste | Existing Quantity (TPA) | After Proposed Quantity (TPA) | Method of Disposal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slag | - | 2,450 | Sold to Slag Processing Unit |
| 2. | Used Oil | 100 Lt/year | 180 Lt/year | Sold to Authorized Vendors |
| 3. | Kitchen Waste | 4.5 kg/day | 10 kg/day | Bio Composting |
| 4. | Mill Scale | - | 600 | Reuse in process |
| **Solid & Hazardous Waste Generation** | | | | |
| 1. | Zinc fines or dust | | 36 MTPA | Sold to Authorised recyclers |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Spent acid & alkali | 2 KLPA | After treatment to be used within the premises / to be sold to authorized recyclers |
| 3. | Chemical sludge from waste water treatment | 2 TPA | Co-processing in cement kiln / Dispose in the CTSDF |

9. प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ठोस अपशिष्ट (मिल स्केल एवं कटिंग) को स्वयं की इकाई में प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जाएगा। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनित स्लज का अपवहन खाद के रूप में स्वयं की इकाई के द्वारा पुनः कर लिया जाएगा।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 9 घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल 37 घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 7 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं जी.आई. के लिए 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से किया जाना प्रस्तावित है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगी। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु 8 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। उपचारित जल को डस्ट सप्रेशन के उपयोग किया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोक पीट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की

स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 13,137 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) क्षमता का निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 9.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही.ए. क्षमता का 2 नग डी.जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 4,590 वर्गमीटर क्षेत्र में 1,150 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 1,970 वर्गमीटर क्षेत्र में 810 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार परिसर के चारों तरफ हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 6,560 वर्गमीटर (33.40 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,960 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण हेतु (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम एवं जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 810 नग पौधों के लिए राशि 56,700 रूपये, खाद के लिए राशि 24,300 रूपये तथा सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,61,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,42,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु तथा 4,76,400 रूपये राशि आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लेण्ड एरिया स्टेटमेंट में वृक्षारोपण के लिए वर्तमान में 5,880 वर्गमीटर एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 1,961.96 वर्गमीटर क्षेत्र, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 7,841.96 वर्गमीटर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण संबंधी प्रस्ताव में परिसर के चारों तरफ हरित पट्टिका के विकास हेतु वर्तमान में 4,590 वर्गमीटर एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 1,970 वर्गमीटर क्षेत्र, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 6,560 वर्गमीटर (33.40 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund |

| Rupees) | | (In Lakh Rupees) | | Allocation (In Lakh Rupees) |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 1% | 4.5 | Following activities at Nearby, Govt. Higher Secondry School Village-Siltara | |
| | | | Rain Water Harvesting in nearby School | 1.60 |
| | | | Construction of Toilets for Students | 4.05 |
| | | | Plantation around the boundary in near by pond | 6.60 |
| | | | Total | 12.25 |

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के किनारे में वृक्षारोपण हेतु (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम एवं जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 22,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,31,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,06,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,54,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के किनारे में कम से कम 250 नग वृक्षारोपण (कटहल, आम एवं जामुन) किये जाने हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (80 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित एवं ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार एवं क्षेत्रफल सहित) हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. वृक्षारोपण संबंधी प्रस्ताव में परिसर के चारों तरफ हरित पट्टिका के विकास हेतु उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के किनारे में कम से कम 250 नग वृक्षारोपण (कटहल, आम एवं जामुन) किये जाने हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (80 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत

के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार एवं क्षेत्रफल सहित) हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. परिसर के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**3. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–भेलाई, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2183)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/सीएमआईएन/405454/2022, दिनांक 05/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। ग्राम–भेलाई, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 158/1, 158/2, 158/4, 159, 197, 199, 201, 155 (शामिल) 156, 154/2, 154/1, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 193, 203/2ख, 203/2ग, 203/2क, 204/2, 204/1, 205, 210/2, 210/1, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 189, 184, 185, 186, 213, 214, 215, 216, 209/1, 209/2, 208, 207 एवं 217/2, कुल क्षेत्रफल–19.53 एकड़ में संचालित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना का विनियोग रुपये 17 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप कुमार वर्मा, जनरल मैनेजर एवं मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री पूनम मंगलम उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   - पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 308, दिनांक 28/05/2016 द्वारा मेसर्स इन्सपायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–भेलाई, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 158/1, 158/2, 158/4, 159, 197, 199, 201, 155, 156, 154/2, 154/1, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 193, 203/2ख, 203/2ग, 203/2, 204 में से, 204/1, 205, 210/2, 210/1, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 189, 184, 185, 186,

213, 214, 215, 216, 209/1, 209/2, 208, 207 एवं 217/2, कुल क्षेत्रफल–19.53 एकड़ में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.999 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

- तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 883, दिनांक 22/01/2018 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन कर मेसर्स इन्नापायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के स्थान पर मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड को जारी किया गया।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति का नवीनीकरण दिनांक 22/02/2020 को जारी की गई, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 30/09/2024 तक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रॉ–कोल वॉशरी क्षमता – 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु कार्य समय (Working Hours) 8 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे किया जाएगा।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी अकलतरा 13 कि.मी., चांपा 20 कि.मी., अस्पताल बलौदा–2.6 कि.मी. दूर है। चकरभाटा एयरपोर्ट बिलासपुर 43.4 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन अकलतरा 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 17 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत भेलाई का दिनांक 28/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. **भूमि स्वामित्व** – भूमि महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 19.53 एकड़ हैं, जिसमें वॉशरी प्लांट का क्षेत्रफल 1.85 एकड़ (9.47 प्रतिशत), रॉ–कोल, स्टॉक यार्ड, क्लीन कोल एवं रिजेक्ट्स का क्षेत्रफल 3.4 एकड़ (17.41 प्रतिशत), अन्य फेसिलिटी का क्षेत्रफल 5.06 एकड़ (25.91 प्रतिशत), वेकेंट भूमि 2.27 एकड़ (11.62 प्रतिशत) एवं ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल 6.95 एकड़ (35.59 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल 50 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है।

7. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाशड कोल 1.984 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एसईसीएल के निकटतम खदानों गेवरा, दिपका एवं कुसमुण्डा से आपूर्ति किया जाएगा। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वॉशरी से वाशड कोल का 30 से 40 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों एवं 60 से 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईंट्स को ढंका जाकर अतिरिक्त बेग फिल्टर से संलग्न कर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं ग्रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कन्वेड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई अथवा आस–पास पावर प्लांटों अथवा अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – घरेलू उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 3,880 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। वॉशरी से उत्पन्न दूषित जल 3,880 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पौण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार कुल फ्रेश वॉटर की आवश्यकता 250 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 25/03/2021 से 24/03/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु घरेलू एवं कृषारोपण उपयोग हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 9,312 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। वॉशरी से उत्पन्न दूषित जल 8,812 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पौण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार

उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार कुल फ्रेश वॉटर की आवश्यकता 600 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

12. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा एवं सीपीसीबी द्वारा निर्धारित ऊंचाई (10 मीटर) की चिमनी संलग्न की जाएगी।

13. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से 6.95 एकड़ (35.59 प्रतिशत) में 600 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के चारों तरफ कम से कम 20 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण आगामी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाए तथा वृक्षारोपण को ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण का विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रॉ–कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2022 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक

29/09/2022 को सूचना दी गई। समिति का मत है कि 15 जनवरी 2023 तक बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य किया जाना आवश्यक होगा।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई–

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (for expansion quantity).

v. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.

vi. Project proponent shall submit road route alongwith map of transportation of coal.

vii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report (for existing & proposed).

viii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

ix. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition (for existing & proposed).

x. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation (for existing & proposed).

xi. Project proponent shall carryout Social Impact Assessement & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.

xii. Project proponent shall carry out Impact Assessement Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the layout plan with KML file of minimum 50% of the total area for plantation and earmarking atleast 20 meter wide green belt all along the pheriphery of the project area.

xv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**4. मेसर्स श्री जयबाबा कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया, ग्राम–जरवाय, सुरडुंग, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2180)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी/ आईएनडी1/ 405491/2022, दिनांक 05/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हैवी इंडस्ट्रियल एरिया, ग्राम–जरवाय, सुरडुंग, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 419 एवं 420 में स्थित कुल क्षेत्रफल – 1.04 हेक्टेयर में रि–हिटिंग रोलिंग मिल–59,900 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 25 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निखिल आहूजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। समिति द्वारा पाया गया कि भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250 (अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट तैयार किये जाने के लिए टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**5. मेसर्स देवपुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री खेमेन्द्र नाथ साहू), ग्राम–देवपुर, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2177)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67480/2021, दिनांक 09/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405088/ 2022, दिनांक 04/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित साधारन पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–देवपुर, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 447, कुल क्षेत्रफल–2.68 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–80,926.218 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1889, दिनांक 16/03/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री खेमेन्द्र नाथ साहू, प्रोपराईटर एवं मेसर्स अमलतास इनवायरो इण्डस्ट्रीयल कन्सलटेंट एलएलपी की ओर से श्री वरुन भारद्वाज उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत देवपुर का दिनांक 10/08/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन

क्रमांक 443/खनिज/उत्खा.यो.अनु./उ.प./2021-22 कांकेर, दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1210/खनिज/उत्खा.प./2021 धमतरी, दिनांक 07/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1211/खनिज/उत्खा. प./2021 धमतरी, दिनांक 07/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, बांध, स्कूल, अस्पताल एवं पुल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। मंदिर 170 मीटर, महानदी 150 मीटर एवं महानदी में निर्मित एनीकट 190 मीटर दूर है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. श्री खेमेन्द्र नाथ साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 407/खनिज/ई–निविदा/टेंडर नंबर 68711/2020–21 धमतरी, दिनांक 24/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 66/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 30/09/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परंतु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला धमतरी को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./जी/4912 धमतरी, दिनांक 01/09/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी/उप संचालक टाईगर रिजर्व द्वारा लीज क्षेत्र से सीता नदी तथा उदंती अभयारण्य/ टाईगर रिजर्व की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवपुर 500 मीटर, स्कूल ग्राम–देवपुर 500 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–देवपुर 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 50 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 300 मीटर दूर है। बलका नदी 200 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,16,207 टन, माईनेबल रिजर्व 4,04,634 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,84,403 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,422 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है, जिसमें से 25 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 80,497.72 |
| द्वितीय | 92,867.02 |
| तृतीय | 74,195.2 |
| चतुर्थ | 97,967.85 |
| पंचम | 59,100.3 |

12. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, जबकि प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में क्रशर की स्थापना के प्रस्ताव का उल्लेख है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा। अतः उक्त के संबंध में क्रशर का उल्लेख करते हुये रिजर्व की गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,360 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,422 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. जारी होने से पूर्व से लीज क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित है। साथ ही खनि निरीक्षक, जिला कार्यालय धमतरी के ज्ञापन दिनांक 01/08/2020 द्वारा स्थल निरीक्षण पश्चात् छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 6(ख) तथा प्रारूप नौ की कंडिका अठारह (ख) के तहत् खनिज उपलब्धता के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित

क्षेत्र के दक्षिण में पूर्व से ही पत्थर उत्खनन का गड्ढा बना हुआ है प्रस्तावित क्षेत्र पहाड़ चट्टान है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जीप उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii.(i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 04 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 03 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 05 स्थानों पर मिट्टी के ननूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल :-**

| Concentration level (µg/m$^3$) of criteria pollutants | | | |
|---|---|---|---|
| **Criteria Pollutants** | **Minimum (µg/m$^3$)** | **Maximum (µg/m$^3$)** | **CPCB Standard (µg/m$^3$)** |
| $PM_{2.5}$ | 35.22 | 56.61 | 60 |
| $PM_{10}$ | 60.61 | 88.58 | 100 |
| $SO_2$ | 8.9 | 15.89 | 80 |
| $NO_2$ | 20.14 | 31.26 | 80 |

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:-** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:-**

| Noise level - dB (A) | | | |
|---|---|---|---|
| **Equivalent Noise level** | **Minimum dB (A)** | **Maximum dB (A)** | **CPCB Standard dB (A)** |
| Day $L_{eq}$ | 55.8 | 59.5 | 75 |
| Night $L_{eq}$ | 40.4 | 46.4 | 70 |

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**:– वर्तमान एवं खदान में उत्खनन से भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी. सी.यू. प्रतिघंटा के आधार पर) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 22/07/2022 दोपहर 1200 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन देवपुर, ग्राम–देवपुर, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी के प्रांगण में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 07/09/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. खदान प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत देवपुर (खसरा क्रमांक 482, रकबा 1.91 हेक्टेयर) का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी/उप संचालक टाईगर रिजर्व द्वारा लीज क्षेत्र से सीतानदी तथा उदंती अभ्यारण्य/ टाईगर रिजर्व की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. क्रशर का उल्लेख करते हुये रिजर्व की गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. फ्लोरा, फौना एवं बेलाओं की फिल्ड सर्वे आधारित सूची प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान एवं खदान में उत्खनन से भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा के आधार पर) प्रस्तुत किया जाए।

6. जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत किया जाए।

7. खदान प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

8. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) संबंधी अन्य कार्य का भी विस्तृत विवरण (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

10. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

18. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

19. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरेखित कर प्रस्तुत किया जाए।

20. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

21. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

**6. मेसर्स जमुनाही शेण्ड माईन (ए–2) (प्रो.– श्री शुभेन्द्र सिंह), ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2176)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 409011/2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 62/1, कुल क्षेत्रफल–3.7 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मनियारी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता – 34,010 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शुभेन्द सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत बघनीभांवर का दिनांक 31/07/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्र. 1630/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2022, दिनांक 14/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 596/खनि–03/2022 मुंगेली, दिनांक 18/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 596/खनि–03/2022 मुंगेली, दिनांक 18/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री शुभेन्द सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 01/खनि–03/2022 मुंगेली, दिनांक 01/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डोंगरिया 130 मीटर, स्कूल ग्राम–जमुनाही 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल लोरमी 5.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। नहर 700 मीटर, नाला 340 मीटर, तालाब 140 मीटर, पुल 540 मीटर, एनीकट 4.25 कि.मी. एवं खुरिया बांध 9.7 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 95 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 1,184 मीटर, न्यूनतम 1,086 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 41 मीटर, न्यूनतम 23 मीटर दर्शाई गई है। खदान की पूर्वी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 44 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर एवं पश्चिमी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम शून्य मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.19 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 35,800 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.187 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई 3 मीटर से अधिक है। समिति का मत है कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत जाना आवश्यक है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 18/04/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 95 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से लगी हुई है। नये दिशु निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुये 1,200 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 3.58 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 18.99 | 2% | 0.379 | Following activities at nearby, | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Village-Ghanaghath | |
| | | | Plantation with fencing in periphery of village pond area | 0.40 |
| | | | Total | 0.40 |

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 25 नग पौधों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में 5 नग पौधे तालाब के किनारे पर है। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन एवं कटहल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 16,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 22,500 रूपये तथा आगामी वर्ष में कुल राशि 17,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 64, क्षेत्रफल 1.566 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**7. मेसर्स अंशिका ट्रेडर्स (प्रो.– श्री चंद्र विजय साहू, खड़गवां आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम व तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2045)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/274884/2022, दिनांक 26/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परिवेश पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण यह आवेदन दिनांक 04/11/2022 को ऑनलाईन में दर्शित हुआ।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम व तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 236, कुल क्षेत्रफल–2.22 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,294 घनमीटर (8,893 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चंद्र विजय साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 236, कुल क्षेत्रफल–2.22 हेक्टेयर, क्षमता–3,294 घनमीटर (8,893 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/03/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2193/खनिज/उ.प./2022, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 09/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2017 | 690 |
| 2018 | 670 |
| 2019 | 923 |
| 2020 | 1,927 |
| 2021 | 1,360 |

   समिति का मत है कि वर्ष 2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत खड़गवां का दिनांक 30/05/2016 का पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पत्थर उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना का उल्लेख नहीं है। समिति का मत है कि पत्थर उत्खनन एवं

क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 445/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 14/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2192/खनिज/उ.प./2022,कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 09/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2191/खनिज/उ.प./2022, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 09/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में नदी, रेल लाईन एवं राज्यमार्ग आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज मेसर्स अंशिका ट्रेडर्स, प्रो. श्री चंद्र विजय साहू के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 11/04/2017 से 10/04/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.घि./5245 बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/10/2016 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6.2 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खडगवां 810 मीटर, स्कूल ग्राम–खडगवां 700 मीटर एवं अस्पताल मनेन्द्रगढ़ 20 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 19.37 कि.मी. दूर है। तालाब 685 मीटर एवं रोड ब्रिज 1.87 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,94,905 टन, माईनेबल रिजर्व 1,80,038 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,62,034 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,930.82 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,360 घनमीटर है, जिसमें से 2,800 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 560 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को अप्रयुक्त क्षेत्र (unused area) में लीज क्षेत्र के भीतर संरक्षित कर रखा

जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 19 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 2,003.29 वर्गमीटर है। रैम्प निर्माण हेतु 120 वर्गमीटर क्षेत्र को रखा गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|---|---|
| प्रथम | 7,435.1 | षष्टम | 8,893.1 |
| द्वितीय | 8,893.1 | सप्तम | 8,893.1 |
| तृतीय | 8,893.1 | अष्टम | 8,893.1 |
| चतुर्थ | 8,893.1 | नवम | 6,938.4 |
| पंचम | 8,893.1 | दशम | 6,668.4 |

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 750 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,930.8 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 11.46 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। अतः प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 52 | 2% | 1.04 | Following activities at, Govt. Higher Secondry School Village- Khadgawan | |
| | | | Plantation with fencing | 1.11 |
| | | | Total | 1.11 |

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 19,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में 46,500 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 65,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. वर्ष 2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. पत्थर उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

6. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

12. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

13. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को जांच उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

**8. मेसर्स धनसुली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती सतिन्दर कौर अरोरा), ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2178)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/402118/2022, दिनांक 04/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 677/1, कुल क्षेत्रफल–1.639 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनप्रीत सिंह अरोरा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 12/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान विथ स्कीम ऑफ माईनिंग फॉर फस्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4183/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.04/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 16/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1623/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 15/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 92 खदानें, क्षेत्रफल 184.311 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1623/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 15/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नाला 200 मीटर की दूरी पर है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** भूमि एवं एल.ओ.आई. श्रीमती सतिन्दर कौर अरोरा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 505/ख.लि./तीन–6/ख.प./2022 रायपुर, दिनांक 25/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु रायपुर वनमण्डल में दिनांक 05/09/2022 को आवेदन किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–धनसुली 500 मीटर, स्कुल ग्राम–गरदहा 1.70 कि.मी. एवं अस्पताल रायपुर विधानसभा रोड 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.25 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,83,275 टन, माईनेबल रिजर्व 2,94,543 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,696.62 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,502.8 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12.27 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 15,000 |
| द्वितीय | 20,000 |
| तृतीय | 20,000 |
| चतुर्थ | 25,000 |
| पंचम | 40,000 |

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 465 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. जारी होने से पूर्व ही लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,696.62 वर्गमीटर क्षेत्र में से 1,763.28 वर्गमीटर क्षेत्र 19 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

**"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be develope within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt**

shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1623/खा.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 15/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 92 खदानें, क्षेत्रफल 184.311 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) का रकबा 1.639 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) को मिलाकर कुल रकबा 185.95 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई. आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit NOC for usage of water from competent authority.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**9. मेसर्स मैसामुड़ा रोण्ड माईन (प्रो.– श्री विवेक जॉन), ग्राम–मैसामुड़ा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2149ए)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 227995/2021, दिनांक 07/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 17/09/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/11/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मैसामुड़ा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 48, कुल क्षेत्रफल–4.892 हेक्टेयर में है। उत्खनन हसदेव नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–78,230 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 48, कुल क्षेत्रफल–4.892 हेक्टेयर, क्षमता–77,049 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरबा द्वारा दिनांक 06/03/2018 को जारी किया गया है। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

   ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/03/2020 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मैसामुड़ा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री विवेक जॉन के नाम पर हस्तांतरण किया गया है। जिसमें "पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि अथवा हस्तांतरण पत्र जारी दिनांक से 1.5 वर्ष की अवधि (जो भी कम हो)" का

उल्लेख है, जिसके अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/09/2021 तक थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 18/09/2022 तक वैध थी।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3222/खनि–/2022 कोरबा, दिनांक 08/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2020–21 | 63,000 |
| 2021–22 | 41,400 |
| 2022–23 | 30,800 |

प्रस्तुत विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में वर्ष 2022–23 में कुल उत्खनन 30,800 घनमीटर बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि वर्ष 2022–23 में किये गये उत्खनन की जानकारी माहवार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/09/2022 तक थी।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भैसामुड़ा का दिनांक 25/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3998/खनि–6/2020 कोरबा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3962/खलि–01/रेत नी.(मैसामुड़ा)/न.क्र. 18/2019 कोरबा, दिनांक 03/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3961/खलि–01/रेत नी.(मैसामुड़ा)/न.क्र. 18/2019 कोरबा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – लीज श्री विवेक जैन के नाम पर है। लीज डीड 2 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/05/2020 से 14/05/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मैसामुड़ा 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–मैसामुड़ा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–मैसामुड़ा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 619 मीटर, न्यूनतम 584 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 242 मीटर, न्यूनतम 241 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 212 मीटर, न्यूनतम 192 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 27 मीटर, न्यूनतम 19 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए (जो भी अधिक हो)।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 से 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–78,230 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.176 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि पंचनामा दिनांक 07/08/2021 का प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार रेत

की गहराई 3.176 मीटर है। अतः प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए अद्यतन पंचनामा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 26/11/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तावित स्थल पर 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 13/11/2021 एवं दिनांक 10/06/2022 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लिया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तावित स्थल पर रेत के पुनःभराव के स्थिति को स्पष्ट किये जाने हेतु पूर्व एवं अद्यतन स्थिति में लिये गये रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) का तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 619 मीटर, न्यूनतम 584 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 27 मीटर, न्यूनतम 19 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में (जो भी अधिक हो) खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के 9,805 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 39,115 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. वर्ष 2022–23 में किये गये उत्खनन की जानकारी माहवार प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए अद्यतन पंचनामा प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल पर रेत के पुनःभराव के स्थिति को स्पष्ट किये जाने हेतु पूर्व एवं अद्यतन स्थिति में लिये गये रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) का तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण कार्य का विस्तृत डी.पी.आर. प्रस्तुत किया जाए।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**10. मेसर्स खजुरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्रीमती जमुना बाई पांडे), ग्राम–खजुरी, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2179)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405461/2022, दिनांक 06/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–खजुरी, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 247/5, 247/6 एवं 246/16, कुल क्षेत्रफल – 0.951 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–589 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022 :**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती जमुना बाई पांडे, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 247/5, 247/6 एवं 246/16, कुल क्षेत्रफल–0.951 हेक्टेयर, क्षमता–1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय

स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 04/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 03/01/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 961/खनि.–2 उ.प./2022 मुंगेली, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

| वर्ष | मिट्टी (घनमीटर) |
|---|---|
| 04/01/2017 से 31/03/2017 तक | – |
| 2017–18 | 927.75 |
| 2018–19 | 1,500 |
| 2019–20 | 567.9 |
| 2020–21 | 1,366.8 |

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सांवतपुर का दिनांक 09/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – माँडिफाईड क्वारी प्लान एलींग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्र. 1372/2/खनि/मिट्टी उ.यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 08/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370/खनि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर राजस्वीय खदानों की संख्या निरंक है तथा 500 मीटर के भीतर 1 रेत खदान, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370/खनि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, नदी, नाला, एनीकट, तालाब, रेल लाईन एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है। नदी 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।

6. **800 मीटर की परिधि में स्थित** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 951/खनि–02/2022 मुंगेली, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार 800 मीटर की परिधि में कोई भी आम का बगीचा व गांव की आबादी एवं आवेदित स्थल से नजदीकी विगनी भट्ठा की दूरी 1,000 मीटर से अधिक है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती जगुना बाई के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/10/2012 से 29/10/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/10/2017 से 29/10/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खजुरी 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–खजुरी 2 कि.मी. एवं अस्पताल सरगांव 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 25 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 19,020 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 6,200 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,890 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 384 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,000 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी किक्स विगनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत पलाई ऐश

का उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | ईंट उत्पादन (नग) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | ईंट उत्पादन (नग) |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम | 620 | 6,20,000 | षष्टम | 620 | 6,20,000 |
| द्वितीय | 620 | 6,20,000 | सप्तम | 620 | 6,20,000 |
| तृतीय | 620 | 6,20,000 | अष्टम | 620 | 6,20,000 |
| चतुर्थ | 620 | 6,20,000 | नवम | 620 | 6,20,000 |
| पंचम | 620 | 6,20,000 | दशम | 620 | 6,20,000 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 194 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र की सीमा से शिवनाथ नदी 50 मीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण लीज क्षेत्र के भीतर 50 मीटर (अर्थात् लीज क्षेत्र की सीमा से नदी के बीच की कुल दूरी 100 मीटर) की दूरी तक कुल 4,660 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 25 | 2% | 0.50 | Following activities at, Village-Khajuri | |
| | | | Plantation with fencing around village pond | 0.50 |
| | | | Total | 0.50 |

17. समिति का मत है कि तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त

भूमि के खसरे एवं रकबा का उल्लेख करते हुए संबंधित ग्राम का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 01/04/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सार्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में स्थित चिमनी किल्न को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के तहत् जिग–जैग पद्धति में परिवर्तन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश की अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) सहित प्रस्तुत किया जाना जाए। साथ ही उक्त भूमि के खसरे एवं रकबा का उल्लेख करते हुए संबंधित ग्राम का सहमति पत्र प्रस्तुत किया किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

**11. मेसर्स श्रीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (चोढ़ा लाईम स्टोन क्वारी, डॉयरेक्टर-श्री अंनत सिंह), ग्राम-चोढ़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2211)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 408383/ 2022, दिनांक 29/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चोढ़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 23, 24/1, 25/2, 26/2, 26/3, 38/1, 39/1 एवं 40/1/क, कुल क्षेत्रफल-1.7 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,25,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आर.के. तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोड़ा का दिनांक 11/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1667/ख.लि./रथा./2022 रायगढ़, दिनांक 24/11/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1780/ख.लि./रथा./2022 रायगढ़, दिनांक 15/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.210 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1780/ख.लि./रथा./2022 रायगढ़, दिनांक 15/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। सीवान 120 मीटर दूर है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स श्रीजी इन्फ्रास्ट्रेक्चर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1571/ख.लि.–01/2022 रायगढ़, दिनांक 03/11/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 23, 24/1, 25/2, 26/2, 26/3, 38/1, 39/1 एवं 40/1/क श्री रामायण सिंह राठिया के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4288/2022 रायगढ़, दिनांक 08/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 457 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–घोड़ा 200 मीटर एवं अस्पताल मदनपुर 850 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 175 मीटर एवं राज्यमार्ग 470 मीटर दूर है। मौसमी नाला 220 मीटर एवं महानदी 2 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 11,47,500 टन, माईनेबल रिजर्व 3,17,250 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,01,388 टन है। लीज की

7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5.775 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 28 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 10,000 घनमीटर है, जिसमें से 5,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउन्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 5,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के निकट सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 4/1 एवं 4/2, रकबा 1.25 एकड़) में भण्डारित कर संरक्षित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 3 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 62,500 |
| द्वितीय | 1,25,000 |
| तृतीय | 1,25,000 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,400 नग पौधों के लिए राशि 70,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद, सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में 1,39,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,81,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 667 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 50 | 2% | 1.0 | Following activities at, Village- Chaudha | |
| | | | Pavitra Van Nirman | 2.68 |
| | | | Total | 2.68 |

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 41,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 15,000 रुपये, खाद, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रुपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में 95,000 रुपये एवं आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,73,400 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत चोढ़ा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 22, क्षेत्रफल 0.462 हेक्टेयर में से 0.202 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. ऊपरी मिट्टी को भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की कटाई (यदि आवश्यक हुआ तो) सक्षम अधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण के पश्चात् कम से कम 5 वर्षों तक देखरेख किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

29. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति

(प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

30. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1780/ख. लि./स्था./2022 रायगढ़, दिनांक 16/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.21 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-चोढ़ा) का क्षेत्रफल 1.7 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-चोढ़ा) को मिलाकर क्षेत्रफल 2.91 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स श्रीजी इन्फ्रास्ट्रेक्चर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (चोढ़ा लाईम स्टोन क्वारी, डॉयरेक्टर- श्री अनंत सिंह) को ग्राम-चोढ़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक - 23, 24/1, 25/2, 26/2, 26/3, 38/1, 39/1 एवं 40/1/क में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.7 हेक्टेयर, क्षमता-1,25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक-3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

**1. मेसर्स मोखली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री भीषम चक्रधारी), ग्राम-मोखली, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2094)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 275341/2022, दिनांक 27/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोखली, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 106/1, 106/4, 107/1, 107/2, 107/3, 116/3 एवं 116/4, कुल क्षेत्रफल–2.106 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–30,000 टन (12,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भीषम चक्रधारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोखली का दिनांक 10/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 3387/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(4) नया रायपुर, दिनांक 16/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1139/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 02/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.332 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1139/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 02/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री भीषम चक्रधारी के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर, (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 932/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 10/06/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री प्रवीण कुमार चक्रधारी एवं श्री भीषम चक्रधारी (आवेदक) के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.पि./म.क्र. 10–1/2021/9728 राजनांदगांव, दिनांक 26/11/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 20 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मोखली 1.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–मोखली 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 600 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 14,21,550 टन, माईनेबल रिजर्व 4,97,595 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,76,595 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,783 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 28 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16 वर्ष है। जैक हैमर एवं रॉक ब्रेकर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 30,000 |
| द्वितीय | 30,000 |
| तृतीय | 30,000 |
| चतुर्थ | 30,000 |
| पंचम | 30,000 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. जारी होने से

पूर्व ही लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,783 वर्गमीटर क्षेत्र में से कुछ भाग पूर्व से उत्खनित है। अतः प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा निजी भूमि (खसरा क्रमांक 113(पार्ट), क्षेत्रफल 0.202 हेक्टेयर) में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि सी.ई.आर. (C.E.R.) लागत की उपयुक्त गणना कर ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित भूमि में अथवा शासकीय स्कूल में ही वृक्षारोपण किये जाने हेतु सी.ई.आर. (C.E.R.) का संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. (C.E.R.) लागत की उपयुक्त गणना कर ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित भूमि में अथवा शासकीय स्कूल में ही वृक्षारोपण किये जाने हेतु सी.ई.आर. (C.E.R.) का संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों सथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों

बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

7. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(v) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

2. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 15,200 घनमीटर है। इस मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र

के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में पर (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, कटहल) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 56,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 24,000 रूपये आदि इस प्रकार कुल राशि 1,25,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,88,600 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 40 | 2% | 0.80 | Following activities at Nearby Village-Mokhali | |
| | | | Plantation with fencing village road and quarry approach road | 0.80 |
| | | | Total | 0.80 |

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत गांव एवं खदान के पहुंच मार्ग में (जामुन एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 45,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 24,000 रूपये आदि इस प्रकार कुल राशि 94,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,90,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत मोरखली में सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण किये जाने हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा गांव एवं खदान के पहुंच मार्ग में यथायोग्य स्थान (क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर) की संक्षेप में जानकारी प्रस्तुत की गई है एवं इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है तथा उपरोक्त प्रस्तावित क्षेत्र में सी.ई.आर. के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण के पश्चात् उक्त भूमि का विक्रय नहीं किया जाएगा।

6. फेंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1139/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 02/06/2022 के

अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.332 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मोखली) का रकबा 2.106 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मोखली) को मिलाकर कुल रकबा 3.438 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मोखली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री भीषम चक्रधारी) को ग्राम–मोखली, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 106/1, 106/4, 107/1, 107/2, 107/3, 116/3 एवं 116/4 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.106 हेक्टेयर, क्षमता – 30,000 टन (12,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**2. मेसर्स व्ही.एम. टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1313)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएस/53362/2020, दिनांक 26/05/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएस/53362/2020, दिनांक 26/11/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह नवीन कॉमन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 116/1, कुल एरिया– 0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित है। नवीन कॉमन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना इंडक्शन प्लाज्मा पायरोलाईसिस – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच एवं शेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रुपए 2.75 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसीलिटी (टीएसडीएफएस) (**Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)**) हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) **New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF)** के अंतर्गत इंडक्शन प्लाज्मा पायरोलाईसिस – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच एवं शेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रवेश मलिक, डीजीएम एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एनप्रो इन्वायरो टेक एण्ड इन्जीनियरस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से डॉ. धवल नायक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–पूंजीपथरा 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन भूपदेवपुर 14.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 350 मीटर दूर है। खुरकेट नदी 7.9 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

   - कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/एनएचएम/बीएमडब्लू/2020/3177 रायगढ़, दिनांक 20/02/2020 द्वारा बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्लूटीएफ) परियोजना के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

2. **भूमि उपयोगिता संबंधी विवरण** – आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2984/सामान्य/2019, दिनांक 25/11/2019 को एल.ओ.आई. मेसर्स वही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को जारी की गई है। साथ ही किये गये एम.ओ.यू.(अनुबंध) मास्टर सर्विस एग्रीमेंट के सरल क्रमांक 6 के अनुसार "Project Activities and Timeline: The contract signed with DMC shall be valid for a period of 6 months installation from land allotment and environmental clearance by DMC and 36 months of exection post commissioning of the CBWTF. The contract may be extended for another 24 months and there after further extension is dependent upon mutual agreement between DMC and the qualified bidder, based on satisfactory performance" का उल्लेख है। उक्त के संदर्भ में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/एन.एच.एम./बीएमडब्लू/2020/3177 रायगढ़, दिनांक 20/02/2020 द्वारा रायगढ़ जिले में संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा हेतु अनुमति प्रदाय की गई है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

| S.No. | Description | Area(in SQM) | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Incinerator plant | 208 | 5.1 |
| 2. | Shredder area | 54 | 1.3 |
| 3. | Sterilization room | 54 | 1.3 |
| 4. | Control room | 36 | 0.9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Treated waste storage room | 80 | 2.0 |
| 6. | Hazardous waste storage room | 54 | 1.3 |
| 7. | Red waste storage room | 28 | 0.7 |
| 8. | Yellow waste storage room | 28 | 0.7 |
| 9. | Other waste storage room | 28 | 0.7 |
| 10. | E.T.P. Area | 56 | 1.4 |
| 11. | Utility Area | 70 | 1.7 |
| 12. | Vehicle wash Area | 64 | 1.6 |
| 13. | Vehicle Parking Area | 165 | 4.1 |
| 14. | Office | 65 | 1.6 |
| 15. | Security Cabin | 18 | 0.4 |
| 16. | Green Belt | 1,340 | 33.0 |
| 17. | Collection and Segregation Area | 120 | 3.0 |
| 18. | Roads Area and Open Space Area | 1,594 | 39.2 |
| Total Site Area | | 4,062 | 100 |

4. ट्रीटमेंट कैपेसिटी –

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF INDUCTION PLASMA PYROLYSIS INCINERATOR**

| Specifications Of Induction Plasma Pyrolysis | |
|---|---|
| Capacity | 100 KG Per Hour |
| Type | Cylindrical Vertical (solid waste feeding) |
| Volume | 3 $m^3$ |
| Moc (Shell) | SS310- 10mm Thick |
| Chamber Pressure | 10-20 mm WC |
| Travel Speed | 6.02 mtr/ Hr |
| Refractory Thick | 100 mm |
| Flue Gas Velocity | 1.3 mtr / Sec |
| Ash And Residue Separation | Ash Separator With Hot Ash Removal Screw Conveyor |
| Gas Leakage Prevention | Unit High Pressure air sealing for Prevent Flue Gas Leakage |
| Back Pressure Prevention | From Charging Door Compressed Door Mechanism |
| Explosion Safety Explosion | Davit Arrangement (Internal) |
| Waster Loading Mechanism | Hoper unit With Safety Door |
| Waste Feeding Mechanism | Hydraulic Ram |
| Feeding unit | 5HP |
| Nature / Category of waste | Incinerable bio-medical waste with Maximum 85% moisture Content |
| Heat Loss Fraction | 0.05 |
| Design Temperature | 1400 $^0$C |
| Source Of Energy | Electric |
| Combustion Efficiency | At Least 99 % |
| Temperature Resistance (Primary Chamber) | 1400$^0$C |
| Temperature Resistance | 1200$^0$C |

| | |
|---|---|
| (Secondary chamber) | |
| Preheating Time | Maximum One Hour |
| Temperature In Primary Chamber | Relevant Temperature |
| Temperature In Secondary Chamber | 1050 + 50 $^{0}$C and 1050 – 50 $^{0}$C |
| $O_2$ content in Primary Chamber | 6% |
| Residence time for flue gas in Secondary Chamber | 2 sec |

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF SECONDARY CHAMBER**

| Description | Specification |
|---|---|
| Type | Cylindrical Statical |
| Inclination | Vertical 90 or horizontal |
| Volume | 3 $m^3$ |
| MOC(Shell) | SS304 or MS 2062 refractory lined |
| Chamber pressure | 10-20 mm WC |
| Refractory Thick | 100 mm |
| Flue gas velocity | 1.9 mtr/sec |
| Ash and Residues Separation | Ash Separator with Hot Ash Removal Screw Conveyor |
| Gas Leakage Prevention Unit | High Pressure Air sealing for Prevent Flue Gas Leakage |
| Explosion Safety | Explosion Davit Arrangement (Internal) Top With Counter Weight Linked With PLC Control |
| Retention time of flue gases in Chamber | 2 - 2.2 Second. |

- **Autoclave**

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Capacity | 100 Litre/hr |
| MOC | SS - 304 |
| Model No. | NEET AC100 |
| Insulation | Ceramic wool on outer side |
| Pressure | 2.1 kg/$cm^2$ |
| Air Emission | Highly Odorous but Non Toxic |
| Heating Media | By steam generated from Electric heater arrangement. |
| Feeding | Hydraulic System |
| Safety Instrument | Pressure Gauge and Safety Valve |
| Temperature | 121 to 134°C |
| Design Temperature: | 150°C |
| Water Emission | Odorous May Contain Live Micro Organisms at Base |
| Treatment Effluent | Low Wet Waste 10 % Heavier all Material Acceptance Recognizable |

- **Shredder**

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Capacity | 100 Kg/Hr x 1 No |
| MODEL No | NEET AC100 |
| Waste Materials | Biomedical waste |
| Power | 5 HP |
| Motor | 3 Phase 50 Hz 415 VAC |
| Hopper Size | 300 X 400 mm Height. |
| Drive | V belt Pulley drive |
| Required Space | $2m^2$ (only machine) |
| MOC | MS Fabricated |
| MOC of Blade | W.P.S. Hardened changeable Blade |
| Control Panel | Dual starter ON/OFF switch |
| Shredding Size | 25 X50 mm Waste Cutting |
| Bearing | SKF/ZKL Ball Bearing |
| Cutting Blade | 5 Nos.(3 movables & 2 fix blade) |

5. **प्रोजेक्ट हेतु आवश्यक तथ्य** – प्रस्तावित परियोजना में शासकीय अस्पताल, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक एवं शासकीय उप–स्वास्थ्य केन्द्र आदि में बेडो की संख्या एवं कीयो मेडिकल वेस्ट संग्रह किये जाने संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **हजार्डस एवं ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

| Hazardous & Solid Waste Management | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAT. NO. | TYPE OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE | SOURCE | QUANTITY GENERATED (Kg/Day) | METHOD OF DISPOSAL |
| 36.2 | Ash | Incinerator | 500 | Sent to TSDF |
| 34.3 | ETP Sludge | ETP area | 75 | Sent to TSDF site for landfilling or cement co-processing |
| - | Plastic Waste after Autoclave and shredding | Shredder | 500 | Sent to Authorized Recyclers |
| - | Glass and metallic body implants After Autoclave | Autoclave | 300 | Sent to Authorized Recyclers |
| - | Metal Sharps after Autoclave and Shredding | Shredding | As generated | Sent to foundry for metal recovery / TSDF |
| 5.1 | Waste oil | From Plant & Machineries | 10 | Sent to Authorized Recyclers |

| - | Used batteries | | As generated | Sent to Authorized Recyclers |
|---|---|---|---|---|

7. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 10 किलोलीटर प्रतिदिन जिसमें से फ्रेश वॉटर 5.5 किलोलीटर प्रतिदिन एवं रिसाईकल वॉटर 4.5 किलोलीटर प्रतिदिन (इनसिनरेटर/स्क्रबर में 4.7 किलोलीटर प्रतिदिन, फ्लोर वॉशिंग में 0.8 किलोलीटर प्रतिदिन, व्हीकल वॉशिंग में 1 किलोलीटर प्रतिदिन, सॉल्यूशन बनाने में 0.1 किलोलीटर प्रतिदिन, स्टीम जनरेशन में 0.1 किलोलीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग में 2.5 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू 0.8 किलोलीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। इस हेतु केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (CGWA) से अनुमति लिया जाएगा।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल की मात्रा 0.6 किलोलीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 4.6 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक/सोक पिट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता-10 किलोलीटर प्रतिदिन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ईफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम एक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर एवं फ्लोकुलेटर, प्राईमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमिटेंट स्टोरेज टैंक, पंप, स्लज ड्राईंग बेड, पी.एस.एफ. एवं ए.सी.एफ., कैमिकल डिसइन्फेक्शन फेसिलिटी (सोडियम हाइपोक्लोराइड/क्लोरिन/पोटेशियमपर मैगनेट का उपयोग डिसइन्फेक्टेंट मीडिया की तरह किया जाएगा), ट्रीटेड वेस्ट वॉटर टैंक आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 1,345 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3.6 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर एवं गहराई 0.2 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – Induction Plasma Pyrolsis में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु क्विंचर के साथ पेक्ड बैड स्क्रबर एवं वेंचुरी स्क्रबर तथा चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट में चिमनी की उंचाई 12 मीटर होगी। उक्त चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।

9. **परिवहन व्यवस्था** – जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 150 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के.वी.ए. का एक डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

11. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1,340 वर्गमीटर (लगभग 33 प्रतिशत) में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

12. प्रस्तावित क्षमता विस्तार कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 2.75 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. पूर्व में टी.ओ.आर. हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में एवं जारी टी.ओ.आर. में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच का उल्लेख है। जबकि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 16 अक्टूबर, 2020 से 15 जनवरी, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 9 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 14.9 से 51 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 56.4 से 94 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 3.6 से 25.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 7.8 से 32 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 0.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि, हाईड्रोक्लोरिक एसीड की मात्रा 0.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एन.ओ.$_{एक्स}$ की मात्रा 1.25 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

    iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

    iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 49.5 डीबीए से 54.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.6 डीबीए से 43.7 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 11/08/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान बंजारी मंदिर परिसर के समीप ग्राम–तराईमल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा

रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 23/10/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. इस क्षेत्र में हाथीयों के आवागमन के लिये धरमजयगढ़ से बंगुरसिया तक ऐलिफेंट कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र में ऐलिफेंट वॉच टॉवर भी बनाया गया है।

ii. प्रस्तावित क्षेत्र के समीप केलो नदी एवं कुरकेट नदी 7 कि.मी. है। परियोजना से दूषित जल नदियों में प्रवाहित किया जाएगा।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–**

i. प्रस्तावित कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र ऐलिफेंट कॉरिडोर के बाहर है।

ii. जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ईटीपी लगाया जाएगा साथ ही किसी प्रकार का दूषित जल परियोजना क्षेत्र के बाहर नहीं निस्तारित किया जाएगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 275 | 2% | 5.50 | Following activities at Government Primary School, Village- Punjpathara | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.38 |
| | | | Roof top Solar Panal System | 3.12 |
| | | | Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC | 0.78 |
| | | | Digitization of School Projectors, Computers, Tables | 1.24 |
| | | | **Total** | **5.50** |

उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, साल, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समंयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में टी.ओ.आर. हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में एवं जारी टी.ओ.आर. में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच का उल्लेख है। जबकि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित परियोजना में शासकीय अस्पताल, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक एवं शासकीय उप–स्वास्थ्य केन्द्र आदि में बेड की संख्या, बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा एवं संग्रहण किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त संस्थाओं से जनित बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा अनुसार बॉयो मेडिकल वेस्ट कॉसिलिटी किया जा रहा है अथवा नहीं? के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
4. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना के स्थापना हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. उद्योग एवं उद्योग परिसर के चारों ओर एम.पी.एन. (Most Probable Number) स्टडी प्रतिवर्ष किए जाने हेतु शपथ पत्र (Under Taking) प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस–पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं पैथोजनिक प्रभाव की स्टडी कराने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तावित परियोजना में कितने व्यक्ति कार्यबल के रूप में कार्य करेंगें एवं उनके सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रस्तावित परियोजना एवं आस–पास के क्षेत्र का ऐरो–बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट एवं ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु टी.एस.डी.एफ., सीमेंट इकाईयों में को–प्रोसेसिंग के लिए एवं अधिकृत रिसाईक्लर से अनुबंध के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
12. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा

रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/04/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. जल के घनत्व को 1 घनमीटर माना गया है। जिससे ऑटोक्लेव की क्षमता की ईकाई किलोग्राम प्रतिबैच एवं लीटर प्रतिबैच का उपयोग किया गया हैं, जो कि समान है। आटोक्लेव मशीन में स्टीम (steam) का उपयोग उच्च दाब में प्रेशर वेसल के अंतर्गत हानिकारक बैक्टेरिया, वायरस, फंगस एवं बीजाणु को मारने के लिए किया जाता है। ऑटोक्लेव की क्षमता कक्ष के आयतन के बराबर होती है। ऑटोक्लेव की प्रतिबैच को प्रतिघंटा माना गया है।
2. प्रस्तावित परियोजना द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार 1 बॉयो–मेडिकल वेस्ट फेसिलिटी में 75 कि.मी. का क्षेत्र एवं 10,000 बेडों की संख्या लिये जाने का उल्लेख है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा रायगढ़ जिले के कुल 184 हेल्थ केयर फैसिलिटी (HCFs) में बेडो की संख्या 1,722 लिया गया है, जिससे जनित बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा 516.6 कि.ग्रा. प्रतिदिन (गाईडलाईन अनुसार 300 ग्राम प्रतिबेड प्रतिदिन) को संग्रहण किया जाएगा।
3. विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है परन्तु भूमि के मूल्य को शामिल नहीं किया गया है। भूमि के मूल्य को शामिल करते हुए विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।
5. भूमि खसरा क्रमांक 116/7 (खसरा क्रमांक 116/1 का भाग) शासकीय भूमि है जो संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTF) इकाई की स्थापना हेतु आरक्षित है।
6. परियोजना के स्थापना हेतु ग्राम पंचायत समारूमा का दिनांक 21/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. उद्योग एवं उद्योग परिसर के चारों ओर एम.पी.एन. (Most Probable Number) स्टडी प्रतिवर्ष किए जाने हेतु वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस–पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं पैथोजनिक प्रभाव की स्टडी कराने हेतु वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. प्रस्तावित परियोजना में कुशल श्रमिक 5, अर्धकुशल श्रमिक 8 एवं अकुशल श्रमिक 12 व्यक्ति कार्यबल के रूप में कार्य करेंगें एवं उनके सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाया जाएगा साथ ही प्रत्येक 6 माह में श्रमिकों का पैथोजैनिक टेस्ट करवाया जाएगा।

10. प्रस्तावित परियोजना एवं आस-पास के क्षेत्र का ऐरो-बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. ई.टी.पी. स्लज, इन्सीनेरेशन ऐश एवं मेटल शार्प को मेसर्स रामकी इन्फ्रायरो इंजीनियर्स, जिला-बलोदाबाजार को उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में मेसर्स रामकी इन्फ्रायरो इंजीनियर्स जिला-बलोदाबाजार का संचालन नहीं है। संचालन प्रारंभ होने तक उत्पन्न अपशिष्ट को मेसर्स रामकी इन्फ्रायरो इंजीनियर्स पिथमपुरा, म.प्र. को उपलब्ध कराया जाएगा। मेसर्स रामकी इन्फ्रायरो इंजीनियर्स, जिला-बलोदाबाजार से अनुबंध पर्यावरण स्वीकृति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति उपरांत अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद की जाएगी (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सत्यापन के अधीन)। रिसायकेबल प्लास्टिक एवं ग्लास वेस्ट को समीपस्थ अधिकृत रिसाईक्लर को उपलब्ध कराया जाएगा (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सत्यापन के अधीन)। सूख्ड बैटरीज को स्टार ई-प्रोसेसर ग्राम-बकतरा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर को उपलब्ध कराया जाएगा (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सत्यापन के अधीन)।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 275 | 2% | 5.50 | Following activities at, | |
| | | | Pavitra van nirman | 5.50 |
| | | | Total | 5.50 |

13. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 40,000 रुपये, सिंचाई तथा फेंसिंग (Protection) के लिए राशि 38,000 रुपये, पीट मेकिंग तथा खाद के लिए राशि 38,000 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 52,600 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,68,600 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,81,400 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र निर्माण वन हेतु ग्राम पंचायत समारूमा को यथायोग्य स्थान प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया गया है जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. भूमि के मूल्य को शामिल करते हुए विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कुल विनियोग में वृद्धि होने पर तदानुसार सी.ई.आर. के अतिरिक्त कार्य हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के हेतु ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) विवरण प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया किया जाए।

4. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब (उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक ii एवं iii) का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. श्रमिकों के सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने एवं प्रत्येक 6 माह में श्रमिकों का पैथोजैनिक टेस्ट करवाये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. प्रस्तावित परियोजना एवं आस–पास के क्षेत्र का ऐरो–बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

7. रिसायकेबल प्लास्टिक एवं ग्लास वेस्ट को समीपस्थ अधिकृत रिसाईक्लर को उपलब्ध कराये जाने तथा यूज्ड बैटरीज को सटार ई–प्रोसेसर ग्राम–बकतरा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर को उपलब्ध कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. भूमि के मूल्य को शामिल करते हुए विनियोग की कुल लागत 2.75 करोड़ का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:–

| S.No. | Details | Cost (in Lakh) |
|---|---|---|
| 1. | Site clearing, excavation, leveling construction work and other civil work | 50.00 |
| 2. | Plant and Machineries and other equipment including taxes and duties | 150.00 |
| 3. | EMP including water pollution control, air pollution control, firefighting system, OHC, laboratory etc. | 50.00 |
| 4. | Other misc. cost | 25.00 |
| Total | | 275 |

उद्योग के प्रस्तावित कुल विनियोग 275 लाख अनुसार ही पूर्व में सी.ई.आर. का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 17/09/2022 के माध्यम से 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार किये जाने हेतु संभागीय वनमण्डल अधिकारी को लेख किया गया। किन्तु वन्य प्राणी संरक्षण योजना हेतु प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के हेतु ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) विवरण प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब (उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक ii एवं iii) का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. श्रमिकों के सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने एवं प्रत्येक 6 माह में श्रमिकों का पैथोजैनिक टेस्ट करवाये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रस्तावित परियोजना एवं आस–पास के क्षेत्र का ऐरो–बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

7. रिसायकेबल प्लास्टिक एवं ग्लास वेस्ट को समीपस्थ अधिकृत रिसाईकलर को उपलब्ध कराये जाने तथा यूज्ड बैटरीज को स्टार ई–प्रोसेसर ग्राम–बकलारा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर को उपलब्ध कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के हेतु ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) विवरण प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(द) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत्

सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्र.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किये जाने बाबत् डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, रायगढ़ में दिनांक 05/09/2022 को आवेदन किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत समारूमा से यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 83, रकबा 5.38 हेक्टेयर) का विवरण प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्र.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स कोट आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती रूचि जायसवाल), ग्राम–कोट, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1979)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 264836/2022, दिनांक 31/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोट, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 254 एवं 255, कुल क्षेत्रफल–1.81 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 9,975.84 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरूण कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 254 एवं 255, कुल क्षेत्रफल – 1.81 हेक्टेयर, क्षमता–9,975.84 टन (3,695 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 30/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1480/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2017 | 657 |
| 2018 | 1,238 |
| 2019 | 3,305 |
| 2020 | 2,700 |
| 2021 | 2,045 |

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सरईगहना का दिनांक 14/04/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 20/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 04/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1481/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.62 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1482/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती रुचि जायसवाल के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/04/2017 से 06/04/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./1246 बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/05/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. दूर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोट 900 मीटर, स्कूल ग्राम–कोट 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बैकुन्तपुर 7.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.7 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं धनुहारी नाला 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – पूर्व में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,44,350 टन (90,500 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,09,222 टन (40,452 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 98,300 टन (36,407 घनमीटर) था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,14,515 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 71,448 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,268.68 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,505.48 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|---|---|
| प्रथम | 8,517.84 | षष्टम | 9,975.84 |
| द्वितीय | 9,975.84 | सप्तम | 9,975.84 |
| तृतीय | 9,975.84 | अष्टम | 9,975.84 |
| चतुर्थ | 9,975.84 | नवम | 9,975.84 |
| पंचम | 9,975.84 | दशम | 9,975.84 |

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.91 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत एवं भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,054 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें से वर्तमान में 350 नग पौधे का रोपण किया गया है। शेष 704 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 35,200 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 85,900 रूपये, खाद के लिए राशि 52,700 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,10,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,83,800 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 10,42,800 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 9.98 | 2% | 0.20 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Kot | |
| | | | Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC | 0.25 |
| | | | Running Water Facility for Toilet | 0.18 |
| | | | **Total** | **0.43** |

16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में "भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F.No.IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), दिनांक 08/06/2022 के अनुसार सिर्फ वर्तमान में विद्यमान किसी पर्यावरण स्वीकृति के क्षमता विस्तार से संबंधित प्रकरणों में सर्टिफाईड कंप्लायंस रिपोर्ट लिया जाना अनिवार्य किया गया है।" का उल्लेख है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F.No.IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), दिनांक 08/06/2022 के अनुसार क्षमता विस्तार के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में सर्टिफाईड कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं लिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

2. वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(द) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 25/11/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर में आवेदन दिनांक 30/11/2022 को किया जाना बताया गया है।

परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19/03/2023 को समाप्त होने वाली है। अतः उक्त जानकारी प्राप्त होने पर एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति का मत है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

**4. मेसर्स श्री छबी जंघेल (डोमपदर सोप्ड माईन), ग्राम–डोमपदर, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1685)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 213486/2021, दिनांक 30/05/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–डोमपदर, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 148, कुल क्षेत्रफल – 1.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सीता नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 5,220 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 377वीं बैठक दिनांक 17/06/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रूद्र प्रकाश साहू, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलरगांव का दिनांक 08/10/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 76/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2021–22 कांकेर, दिनांक 25/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 768–ए/खनि/न.क./2021 धमतरी, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.0 हेक्टेयर है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 532/खनि/न.क./2021 धमतरी, दिनांक 22/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री छबि जांगेल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 284/खनिज/निविदा/2021 धमतरी, दिनांक 05/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डोमपदर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–डोमपदर 2 कि.मी. एवं अस्पताल नगरी 21 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 214 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी-तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 88 मीटर, न्यूनतम 45 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 518 मीटर, न्यूनतम 508 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 39 मीटर, न्यूनतम 21 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 10 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए (जो भी अधिक हो)।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 5,220 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.74 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 01/03/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 14 | 2% | 0.28 | Following activities at .Nearby Government Primary School, Village- Dompadar | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.50 |
| | | | **Total** | **0.50** |

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र –**

i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 88 मीटर, न्यूनतम 45 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 10 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 469 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पुल खदान से 214 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल के डाउनस्ट्रीम में कम से कम 500 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 286 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 9,311 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 9,780 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 0.522 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं सीतानदी अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(द) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि कार्यालय उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./जी/123 गरियाबंद, दिनांक 10/01/2022 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार "उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद के कोर क्षेत्र अंतर्गत सीतानदी परिक्षेत्र के बीट सिंगपुर कक्ष क्रमांक 328 की सीमा रेखा से नक्शे एवं गूगल मैप से आवेदन में दर्शाये अक्षांश एवं देशांश के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित रेत खदान की लगभग दूरी 3.78 कि.मी. में स्थित है।" का उल्लेख है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

## मेसर्स श्रीजी इन्फ्रास्ट्रेक्चर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (घोड़ा लाईम स्टोन क्वारी, डॉयरेक्टर– श्री अनंत सिंह) को खसरा क्रमांक – 23, 24/1, 25/2, 26/2, 26/3, 38/1, 39/1 एवं 40/1/क, कुल लीज क्षेत्र 1.7 हेक्टेयर, ग्राम–घोड़ा, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 1,25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.7 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 1,25,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए। यह पर्यावरणीय स्वीकृति गौण खनिज के शासकीय कार्यों में प्रदाय हेतु ही मान्य रहेगी।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (**after ceasing mining operations**) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (**disturbed due to their mining activities**) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (**re-grassing**) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी विमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर

प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

15. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2% | 1.0 | Following activities at, Village- Chaudha | |
| | | | Pavitra Van Nirman | 2.68 |
| | | | Total | 2.68 |

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 600 नग पौधों के लिए राशि 41,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 15,000 रूपये, खाद, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में 95,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,73,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत चौड़ा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 22, क्षेत्रफल 0.462 हेक्टेयर में से 0.202 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

19. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

21. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,400 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

22. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 नग पौधों का रोपण (कुल 1,800 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

27. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

31. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

32. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

**मेसर्स मोखली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री भीषम चक्रधारी) को खसरा क्रमांक 106/1, 106/4, 107/1, 107/2, 107/3, 116/3 एवं 116/4, कुल लीज क्षेत्र 2.106 हेक्टेयर, ग्राम–मोखली, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 30,000 टन (12,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.106 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 30,000 टन (12,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के

विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जावेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

15. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 40 | 2% | 0.80 | Following activities at Nearby Village-Mokhali | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Plantation with fencing village road and quarry approach road | 0.80 |
| | | | **Total** | **0.80** |

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत गांव एवं खदान के पहुंच मार्ग में (जामुन एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 45,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 24,000 रूपये आदि इस प्रकार कुल राशि 94,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,90,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत मोखली में सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण किये जाने हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा गांव एवं खदान के पहुंच मार्ग में यथायोग्य स्थान (क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

19. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

21. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 800 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

22. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 नग पौधों का रोपण (कुल 1,200 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

27. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

31. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

32. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्सराव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय

और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.